

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

न्यायालय

उप खण्ड अधिकारी

मुकाम

नीमकाथाना

मुकदमा

2018
2018/255

मुन

2018
255 वर्ष

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री E.N. Yadav
एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे।
प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी
के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का
उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर
वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को
खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण करने तथा रहन के लिए आनावा हो रहे हैं। प्रार्थी के पक्ष में
अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को
देखते हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण
आगामी पेशी दिनांक 21-7-16 तक विवाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर
163, 167, 173, 175, 176, 178 ~~खसरा 6, 30, 30, 30~~ 3.00 हे
162, 166, 165, 174, 177 ~~खसरा 7.40 हे~~

अवस्थित ग्राम खुबियाल तहसील नीमकाथाना
जिला सीकर के प्रधान जज के आदेश बनाये रखें।
प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस को तामील को तामील
व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की
प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का
शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्पष्ट हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक
पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम
अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह
उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की टाँस कार्यवाही करें तथा
आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश
को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं
अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा
पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन/वैकट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को
जारीये नोटिस मय आदेश तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 21-7-16 को पेश हो।



अधिकारी

Handwritten notes at the top of the page, including a date '24/11/16' and some illegible text.

Handwritten notes in the middle section, starting with 'Handwritten notes' and 'Handwritten notes'.

Handwritten notes at the bottom left, including a date '24/11/16' and some illegible text.

Handwritten notes in the middle right section, starting with 'Handwritten notes'.


Main body of handwritten notes, starting with 'Handwritten notes' and 'Handwritten notes'.

फर्त अहकाम

(नियम 26)

पत्रावली नं. पुत्रावली नं.
 पत्रावली नं. पुत्रावली नं.

पत्रावली नं. पुत्रावली नं.

पत्रावली नं.	पत्रावली या कार्यवाही का उद्देश्य/विवरण	पत्रावली या कार्यवाही का दिनांक
1/1/23	पत्रावली पेश हुई। प्रमुख न्यायाधीश P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/1/23 को पेश हो। 2	
20/1/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ आज पत्रावली पेश की जा रही है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/1/23 को पेश हो। 2	
6/2/23	वकुलाय उषा। अर्ध-अधिकांश की तलबी लेतु आवकत रूप में सी. ए. नोटिफिकेशन पेश हो। अन्तर्गत तलबी पत्रावली दिनांक 30/5/23 को पेश हो। 	
30/5/23	पत्रावली पेश हुई। भ्रष्टाचारिक कार्यकारी सामुहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली में जागगी पेशी दिनांक 31/9/23 नियत की जाती है। 5	
21/7/23	पत्रावली पेश हुई। प्रमुख न्यायाधीश P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/7/23 को पेश हो। 9	
9/11	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उषा। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/1/24 को पेश हो। 4	
22/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उषा। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/9/24 को पेश हो। 2	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/5/24

पत्रावली पेक हुमी। प्रार्थना व वहील प्रार्थना
अनुपस्थित। बार-बार इजाजत लगवामी जमी
इजाजत लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थना की ओर
से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थना के
प्रार्थक पत्र ल्याज अइह हाजरी अइह पैरवी
में स्वकीज किया जाता है पत्रावली फल
शुमार लोक नम्बर है कम लोक दफतर दारिज
की

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
बीमकाथाना (राज)